## माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2016–17 निग-673-III-16

श्रीमती सरला पत्नी रमेश नाटानी, आयु–55 वर्ष
व्यवसाय–गृहकार्य, निवासी–6, क्षीरसागर कालोनी,
उज्जैन ---- आवेदिका

विरूद्ध

1– मोहनलाल पिता भागीरथ, आयु–62 वर्ष,
व्यवसाय–कृषि,

2– कमल पिता भागीरथ, आयु–53 वर्ष,
व्यवसाय–व्यापार,

3– दिनेश पिता भागीरथ, आयु–47 वर्ष,
व्यवसाय–व्यापार, निवासीगण–2, निकास चौराहा
उज्जैन म.प्र.

4– श्रीमती रेखा पति अशोक पुत्री भागीरथ यादव
आयु–40 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य, निवासी–रंग बावड़ी
इन्दौर गेट उज्जैन

5– विमल पिता श्री प्रेमचन्द सर्राफ, आयु–60 वर्ष
व्यवसाय–व्यापार,

6– राजेन्द्र पिता कुन्दनमल, आयु–55 वर्ष
व्यवसाय–व्यापार, निवासीगण–अरविन्द नगर आगर
रोड़ उज्जैन म.प्र.

7– श्रीमती तारा बाई पत्नी जितेन्द्र मारू,
निवसी–7, क्षीरसागर कालोनी, उज्जैन म.प्र.
----- अनावेदकगण

## निगरानी धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत

**माननीय तहसीलदार महोदय उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 6–अ/12/2015 मोहनलाल पिता भागीरथ आदि में किये गये सीमांकन के विरूद्ध ।**

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदिका की ओर से निम्नलिखित आधारों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत है :–

Mrs. S. R. Natani

निरन्तर......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 673–तीन/2016 जिला उज्जैन

श्रीमती सरला विरूद्ध मोहनलाल आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22-3–2016 | आवेदिका द्वारा यह निगरानी तहसीलदार उज्जैन जिला उज्जैन के प्रकरण कमांक 6/अ–12/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।<br>2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक ने 1716/3 का सीमांकन कराया, परन्तु आवेदिका जो 1716/1 की भूमिस्वामी है उसका सूचना नहीं दी। बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में किया गया सीमांकन निरस्ती योग्य है।<br>3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक वृत 4 के द्वारा सीमांकन किया गया है। प्रकरण में सूचना पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है जिसमें राजस्व निरीक्षक ने सीमावर्ती कृषकों को सीमांकन की सूचना दी है जिसपर सभी कृषकों के हस्ताक्षर अंकित है। आवेदिका सीमांकन आदेश से किस प्रकार हितबद्ध है यह सिद्ध करने में असमर्थ रही है। आवेदिका की ओर से नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवेदिका सरहदी कास्तकार है। अनावेदकों की भूमि पर आवेदिका का किसी प्रकार का कब्जा होना भी सीमांकन प्रतिवेदन में अंकित नहीं है। | |

आवेदिका चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य